उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 15.10.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

मिशन शक्ति फेज–5.0 के तहत महिला सुरक्षा एवं साइबर जागरूकता अभियान — महोबा पुलिस का संवेदनशील प्रयास...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में संचालित “मिशन शक्ति फेज–5.0” अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के उद्देश्य से विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाएँ एवं संवाद सत्र आयोजित किए जा रहे हैं।

जिसके क्रम में आज दिनांक- 15.10.2025 को जनपद के समस्त थानों में नियुक्त मिशन शक्ति पुलिस टीमों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र अन्तर्गत स्कूलों एवं कालेजों में जाकर स्कूली छात्रों को आत्मरक्षा, सुरक्षा अधिकारों तथा साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया गया।

कार्यक्रमों के दौरान छात्राओं को ‘गुड टच’ व ‘बैड टच’ की पहचान, आत्मरक्षा के सरल उपाय तथा महिला सम्बन्धी अपराधों से बचाव के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि) के सुरक्षित एवं जिम्मेदार उपयोग के लिए प्रेरित किया गया।

साइबर अवेयरनेस कैम्पेन — डिजिटल युग में सुरक्षा की ओर कदम

मिशन शक्ति कार्यक्रम के साथ-साथ महोबा पुलिस द्वारा “साइबर अवेयरनेस कैम्पेन” भी संचालित किया जा रहा है। इसके तहत लोगों को साइबर अपराधों के प्रकार, उनसे बचाव के उपाय, साइबर फ्रॉड की पहचान, फेक लिंक/ओटीपी धोखाधड़ी से सतर्क रहने की जानकारी दी गई।

इस दौरान नागरिकों को साइबर अपराध की शिकायत हेतु राष्ट्रीय हेल्पलाइन नम्बर 1930 एवं पोर्टल www.cybercrime.gov.in के माध्यम से शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया से भी अवगत कराया गया।

महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर—

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1090 – वीमेन पावर लाइन 181 – महिला हेल्पलाइन 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा 102 – गर्भवती महिलाओं/नवजात शिशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा 108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन 101 – अग्निशमन सेवा 1930 – साइबर हेल्पलाइन

अभियान का उद्देश्य

मिशन शक्ति फेज–5.0 एवं साइबर अवेयरनेस कैम्पेन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में आत्मविश्वास का संचार, आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन, डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूकता, तथा समाज में महिला सम्मान की भावना को सशक्त बनाना है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 15.10.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर अग्निशमन टीम द्वारा आतिशबाज की दुकानों का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा मानकों को परखा गया, सुरक्षा के सम्बन्ध में दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में आगामी आने वाले धनतेरस एवं दीपावली पर्व के मद्देनजर जनपदवासियों को सुरक्षित परिवेश उपलब्ध कराये जाने उद्देश्य से प्रभारी अग्निशमन अधिकारी महोबा श्री महेन्द्र सिंह के नेतृत्व में अग्निशमन टीम द्वारा थाना खरेला क्षेत्रअन्तर्गत आतिशबाजी विक्रय/निर्माण एवं भंडारण स्थलों का निरीक्षण किया गया तथा आतिशबाजी/पटाखा विक्रय/भंडारण/ निर्माण स्थलों पर उपस्थित दुकानदारों एवं स्टाफ को अग्निशमन उपकरणो को चलाए जाने हेतु प्रशिक्षण/जानकारी दी गई तथा लाइसेंसिंग क्षमता के अनुसार रखे जाने हेतु निर्देशित करते हुए मानकों के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सदैव क्रियाशील दशा में रखने हेतु निर्देशित करते हुए जागरुकता पंपलेट के माध्यम से जागरूक किया गया, इसके अतिरिक्त अग्निशमन उपकरण लगाने हेतु एवं सुरक्षा के मानकों को पूर्ण करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिससे पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की आग दुर्घटना की संभावना को खत्म किया जा सके।

अग्निसुरक्षा के दृष्टिगत फायर टीम महोबा द्वारा जनपद के विभिन्न बैंकों की अग्निसुरक्षा का ऑडिट किया गया, वहां लगे अग्निशमन उपकरणों को चैक किया गया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

बैंको में अग्निसुरक्षा से बचाव हेतु पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में आज दिनांक- 15.10.2025 को जनपद महोबा में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह के निकट पर्यवेक्षण में अग्निशमन टीम महोबा द्वारा जनपद महोबा में अवस्थित विभिन्न बैंकों में अग्निसुरक्षा के दृष्टिगत फायर ऑडिट किया गया एवं वहाँ लगे अग्निशमन उपकरणों को चेक किया गया वहाँ मौजूद सुरक्षा कर्मियों/स्टाफ को अग्निशमन उपकरण चलाने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा सम्बन्धित बैक प्रबन्धक को अग्निशमन व्यवस्था से संबंधित उपकरणों को स्थापित किये जाने व समय-समय पर उनको रिफिल कराये जाने के निर्देश देते हुए दमकल सम्बन्धी उपकरणों को सदैव क्रियाशील रखने हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये, इस दौरान आग बुझाने के विभिन्न तरीकों को बताया गया एवं सभी को अग्निसुरक्षा से बचाव हेतु जागरुक करते हुए जागरुकता पम्पलेट्स का वितरण किया गया।

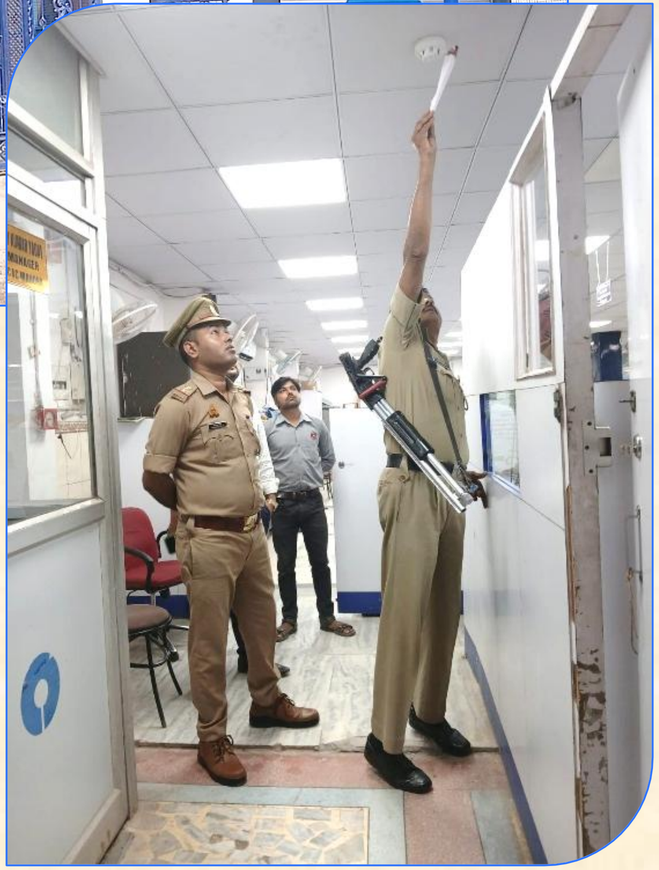

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

शस्त्र अधिनियम के अभियोग में आरोपी अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि एवं 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 15.10.2025 को मा0 न्यायालय द्वारा शस्त्र अधिनियम के अभियोग में परीक्षणोपरांत नामित अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 500/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना खन्ना में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 333/2006 धारा 25 शस्त्र अधिनियम से सम्बंधित अभियुक्त स्वयंम्बर सिंह पुत्र माखे सिंह निवासी ग्राम खन्ना थाना खन्ना जनपद महोबा को जेल में बिताई गयी अवधि व 500 रू0 के अर्धदण्ड से दण्डित किया गया है।